न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16 / 2025 (फोरलेन)

उनवान

गायत्री देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार मेवाडा निवासी आसीन्द, जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये प्रयोजनार्थ निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय, कार्यन्वन ईकाई ब्यावर, 1—ए मानक कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर।
2. The Superintending engineer cum Regional officer Ministry of Road Transport of Highways DCM Ajmer Road, Jaipur 302019.
3. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द, जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक 183 / 2020 दिनांक 17.05.2022

उपस्थित —

1 अधिवक्ता प्रार्थी— प्रकाश देवाणी।

2. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01— लादूलाल तेली।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 27/05/2026

1— प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मुझ प्रार्थी के शामलाती खाते की भूमि शहर आसीन्द, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में आराजी नं. 3937 किस्म गेमु आवासीय मे से रकबा 0.0358 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त किया जिसमे मेरा 1/3 हक हिस्सा बनता है। जिसमे अवाप्त अधिकारी द्वारा 3ए प्रकाशन दिनांक 22—08—2020 द्वारा भूमि अवाप्ति का आदेश अखबार मे जारी हुआ उसी दिनांक 22—08—2020 से 21—02—2022 तक मुआवजा 548 दिन के 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से मूल राशि 907002/— रूये मुआवजा देना निर्धारित हुआ। सम्पूर्ण कार्यवाही होने के बाद बार—बार आग्रह करने पर भी मुझ प्रार्थी की आराजी संख्या 3937 का जो मुआवजा निर्धारित हुआ था, 907002/—वो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। बार—बार आग्रह करने पर भी केवल आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी आसींद के यहाँ हमने बार—बार कार्यालय मे जाकर आग्रह पेश किया किन्तु कुछ नही हुआ। अधिशाषी अभियन्ता परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (PIU) 1—ए माणक कॉलोनी, देलवाडा ब्यावर जिला ब्यावर के यहाँ हमारे भूमि के रूपये हेतु बिल प्रस्तुत हुआ, किन्तु उन्होने डीसीएम कार्यालय जयपुर मे बिल प्रेषित किये जो बिना किसी कारण के बिल खारिज कर दिये, बार बार कहने पर भी आज दिन तक समाधान नही हुआ है, जिससे हमारे को आर्थिक क्षति हो रही है व मानसिक क्षति हो रही है। मूल रूपये मुआवजा राशि 907002/—रूपयें से एक प्रतिशत मासिक 12 प्रतिशत वार्षिक अवार्ड दिनांक 17—05—2022 से आज दिनांक मूल अवार्ड राशि के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रूपयें 907002/— नही आने के कारण 40 महिने का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक के अनुसार 362800/— रूपये बनता है जो हमे दिलाया जावे क्योंकि 40 महिनो से मूल राशि का भुगतान नही होने के कारण उक्त रूपये आपके कार्यालय में जमा है जिसकी नियमानुसार गणना 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से होना तय है, रूपये नही मिलने के कारण हमारे को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड रहा है। मूल राशि 907002/— रूपये पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज राशि 362800/—रूपये 1269802/— रूपये दिलाने का आदेश प्रदान करावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मूल राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से भुगतान की दिनांक तक ब्याज जोडकर अविलम्ब ब्याज का भुगतान कराये जाने का निवेदन किया गया।

2— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 03.07.2025 को पजीबद्व किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। रिकॉर्ड प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विपक्षी एनएचएआई अधिवक्ता ने जवाब पेश कर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए अंकित किया गया कि** — राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—158 (रास—ब्यावर आसीन्द माण्डल) दो लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना में तहसील—आसीन्द के राजस्व ग्राम आसीन्द के खसरा नम्बर 3937 किस्म गै0मु0 आवासीय में से रकबा 0.0358 है0 भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—158 के निर्माण हेतु अवाप्त किया गया है, जिसमें प्रार्थी गायत्री देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार मेवाड़ा, निवासी—आसीद, जिला—भीलवाड़ा संयुक्त हितबद्धधारी है एवं उपरोक्त आराजी नम्बर 3937 में 1/3 हक हिस्सा प्रार्थी का है। उक्त खसरा संख्या 3937 का सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(A) का भारत के राजपत्र में दिनांक 13.03.2020 को गजट प्रकाशन किया गया जिसका स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 22.08.2020 को प्रकाशन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(D) का भारत के राजपत्र में दिनांक 29.10.2020 को गजट प्रकाशन किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा उक्त गजट नोटिफिकेशन में अवाप्त भूमि का दिनांक 21.02.2022 को 3 G अवार्ड पारित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

3— सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा पारित 3G अवार्ड निर्धारण कर मुआवजा भुगतान हेतु उपरोक्त खसरा संख्या 3937 का भुगतान बिल PFMS Portal पर दर्ज किया जाकर अपने पत्र क्रमांक/भूमि अवाप्ति / एन.एच. आई. /158/813 दिनांक 04.09.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। उक्त भुगतान बिल इस कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मोर्थ जयपुर को दिनांक 06.11.2023 को प्रेषित किये गये जिसमें अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, गोर्थ जयपुर द्वारा जाँच पश्चात् खसरा संख्या 3937, किस्म—गै0गु0 आवासीय होने के उपरान्त भी TDS कटौती नहीं करने के सम्बन्ध में अपने पत्र क्रमांक 2726 दिनांक 01.12.2023 द्वारा आक्षेप लगाते हुए पुनः भुगतान बिल इस कार्यालय को आक्षेप पूर्ति कर पुनः भिजवाने हेतु निर्देशित कराया गया। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5819 दिनांक 14.12.2023 द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को आक्षेप पूर्ति कर मुआवजा भुगतान बिल पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त मुआवजा भुगतान की कार्यवाही भूमि राशि पोर्टल एवं PFMS Portal के माध्यम से की जाती है परन्तु PFMS Portal पर आई तकनीकी समस्या की वजह से प्रार्थी को मुआवजा भुगतान नहीं हो पाया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मुआवजा भुगतान में हुए विलम्ब से 3 G अवार्ड को संशोधन करने का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त खसरा संख्या 3937 का सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) अवार्ड दिनांक 21.02.2022 को पारित किया गया जिसमें नियमानुसार ब्याज की गणना की गई है एवं प्रार्थी के अवाप्त खसरा की मूल राशि पर 12 प्रतिशत

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

वार्षिक दर से ही 3G अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

4— **प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि—** मुझ प्रार्थी के शामलाती खाते की भूमि शहर आसीन्द, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में आराजी नं. 3937 किस्म गेमु आवासीय मे से रकबा 0.0358 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त किया जिसमे मेरा 1/3 हक हिस्सा बनता है। जिसमे अवाप्त अधिकारी द्वारा 3ए प्रकाशन दिनांक 22—08—2020 द्वारा भूमि अवाप्ति का आदेश अखबार मे जारी हुआ उसी दिनांक 22—08—2020 से 21—02—2022 तक मुआवजा 548 दिन के 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से मूल राशि 907002/— रूये मुआवजा देना निर्धारित हुआ। सम्पूर्ण कार्यवाही होने के बाद बार—बार आग्रह करने पर भी मुझ प्रार्थी की आराजी संख्या 3937 का जो मुआवजा निर्धारित हुआ था, 907002/—रूपये आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। मूल रूपये मुआवजा राशि 907002/—रूपयें से एक प्रतिशत मासिक 12 प्रतिशत वार्षिक अवार्ड दिनांक 17—05—2022 से आज दिनांक मूल अवार्ड राशि के रूपयें 907002/— नही आने के कारण 40 महिने का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक के अनुसार 362800/— रूपये बनता है जो हमे दिलाया जावे क्योंकि 40 महिनो से मूल राशि का भुगतान नही होने के कारण उक्त रूपये आपके कार्यालय में जमा है जिसकी नियमानुसार गणना 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से होना तय है, रूपये नही मिलने के कारण हमारे को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड रहा है। मूल राशि 907002/— रूपये पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज राशि 362800/—रूपये 1269802/— रूपये दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

5— **विपक्षी एनएचएआई अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर अपनी बहस अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि—** राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—158 (रास—ब्यावर आसीन्द माण्डल) दो लेन पेव्ड शोल्डर परियोजना में तहसील—आसीन्द के राजस्व ग्राम आसीन्द के खसरा नम्बर 3937 किस्म गै0मु0 आवासीय में से रकबा 0.0358 है0 भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—158 के निर्माण हेतु अवाप्त किया गया है, जिसमें प्रार्थी गायत्री देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार मेवाड़ा, निवासी—आसीद, जिला—भीलवाड़ा संयुक्त हितबद्धधारी है एवं उक्त आराजी नम्बर 3937 में 1/3 हक हिस्सा प्रार्थी का है। उक्त खसरा संख्या 3937 का सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) अवार्ड दिनांक 21.02.2022 को पारित किया गया, जिसमें नियमानुसार ब्याज की गणना की गई है एवं प्रार्थी के अवाप्त खसरा की मूल राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ही 3G अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा जारी किया गया है। उक्त मुआवजा भुगतान की राशि पोर्टल एवं PFMS Portal के माध्यम से की जाती है परन्तु PFMS Portal पर आई तकनीकी समस्या की वजह से प्रार्थी को मुआवजा भुगतान नहीं हो पाया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मुआवजा भुगतान में हुए विलम्ब से 3 G अवार्ड को संशोधन करने का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

6— **उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि—** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(A) का भारत के राजपत्र में दिनांक 13.03.2020 को गजट प्रकाशन किया गया जिसका स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 22.08.2020 को प्रकाशन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(D) का भारत के राजपत्र में दिनांक 29.10.2020 को गजट प्रकाशन किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा दिनांक 17.05.2022 को नियमानुसार अवार्ड पारित किया गया। मुआवजा भुगतान में हुए विलम्ब के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संशोधित अवार्ड पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रार्थी द्वारा विलम्ब से आवेदन पेश करने का कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया एवं न ही विलम्बित अवधि को क्षम्य किये जाने हेतू कोई आवेदन व शपथपत्र अपने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थनापत्र मियाद अधिनियम 1963 के अनुसार तय समय सीमा के अन्दर पेश नहीं किये जाने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव–

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 खारीज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा पारित अवार्ड 183/2020 दिनांक 17.05.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द, जिला भीलवाडा को तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाडा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा